



\*\*\*\*\*

## पंचायती राज में महिला उद्यमिता की ग्रामीण विकास में भूमिका और संघर्ष

डॉ०संजीव गंगवार

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग शान्ति निकेतन महाविद्यालय फर्रुखाबाद

[ईमेल:sanjeevgangwar827@gmail.com](mailto:sanjeevgangwar827@gmail.com)

### शोध संदर्भ:

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में समान जनसहभागिता को बढ़ावा देना तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। इसके लिये पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्राविधान किया गया तथा इसे एक पूर्ण स्वायत्त लोकतांत्रिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाएं बनाने संबंधी अधिकार सौंपे गये। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की विभिन्न योजनाओं एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गयी। पंचायतों को विकास के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु पंचायतों को पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य को अधिशोषित करने का अधिकार दिया गया तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि द्वारा विभिन्न प्रकार की निधियों का गठन कर आवश्यकता पड़ने पर उनसे निकासी के अधिकार भी दिये हैं।

**Keyword's:** पंचायती राज व्यवस्था, महिला उद्यमिता, भूमिका, संघर्ष

\*\*\*\*\*

महिला उद्यमिता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संदर्भ का मूल्यांकन किया जाये तो देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के वगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय महिलाएं घर गृहस्थी का पूरा काम काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों खलिहानों, कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं। चाहे गाँवों में साक्षरता का अभियान हो या गाँव के युवकों की रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गाँव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो या सबकार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं। बढ़ती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व

संतुलित आहार देने और इस सबसे बढ़कर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं। अतः पंचायती राज में आर्यी उद्यमी महिलायें अपनी अहम् भूमिका रखती हैं।

प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन में शोधार्थी ने यही सब जानने का प्रयास किया है कि जनपद को ग्रामीण विकास में पंचायत की उद्यमी महिलायें कहाँ तक विकास कार्यों रूचि व अभिरूचि ले रही हैं, जिसको जानने हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार बनाया जिसमें महिला प्रतिनिधियों को ग्रामीण सामाजिक जीवन के विकास में भूमिका और संघर्ष, महिला प्रतिनिधि और सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम ग्रामीण आर्थिक विकास में महिला प्रतिनिधियों का योगदान, महिला प्रतिनिधि और ग्रामीण राजनैतिक विकास, ग्रामीण सेवा केन्द्र, और पंचायत महिलायें, महिला प्रतिनिधियों के वित्तीय व गैर वित्तीय कार्यों का मूल्यांकन, पंचायतों के स्वावलम्बी बनाने में भूमिका, ग्रामीण महिलायें और सूचना प्रसारण व्यवस्था, ग्रामीण महिलायें और अन्य जाति, वर्ग व लिंग से बढ़ते सहसंबंध, महिला सशक्तीकरण का विकास व महिला पंचायतें, कार्य क्षेत्र में बाधाएं एवं संघर्ष आदि जिसको आगे क्रमवत् तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

### महिला प्रतिनिधियों की ग्रामीण सामाजिक जीवन के विकास में भूमिका और संघर्ष


आज ग्रामीण समाज की महिला नगरों में निवास करने वाली महिलाओं की तरह ही स्वयं में आत्मनिर्भर स्वावलम्बी एवं दूसरों के लिये मार्गदर्शक बनने हेतु प्रयासरत है। उसके द्वारा किया जा रहा है प्रयास ग्रामीण समाज में विकास की एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात कर रहा है, परन्तु यहीं वह नारी के उन पारम्परिक मूल्यों जो ग्रामीण समाज की धरोहर हैं उनको भी नष्ट नहीं कर रही हैं। सरकार द्वारा भी महिलाओं के सर्वोत्तम विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं का भारत सरकार भरपूर सहयोग कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को साहयता देने की अपनी योजनाओं में सहयोग लेने के उद्देश्य से अलग से गैर सरकारी संगठन सेल बनाया जाता है जो ऐसे संघटनों की पहचान अनुदान के वितरण तथा उनकी गतिविधियों में ताल-मेल कायम करता है। महिलाओं को अपना काम धंधा स्वयं चलाने यानी स्वरोजगार की गतिविधियों में स्वयं सेवी संगठन कारगर सहयोग दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण लेती हैं और उस राशि को जरूरतमंद महिलाओं को कर्ज के रूप में बाँट लेते हैं।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये हथकरघा उद्योग तथा लघु उद्योग और कारचोव जैसे साधनों को बड़ी तेजी से अपना रही हैं। इसलिये भारत सरकार ने भी हथकरघा बुनकरों तथा उद्योगों लघु उद्योग तकनीकी और विपणन की सुविधायें तथा अन्य सेवायें प्रदान करने की वचनबद्धता अपने राष्ट्रीय एजेंडों में व्यक्त करती हैं। इन सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में महिलायें अपने क्षेत्र में तेजी से कार्यकुशल होते हुये ग्रामीण समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है इसी के साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं को इस स्थिति में आने के लिये अपने ग्रामीण समाज की तमाम रूढ़िवादिताओं परम्पराओं एवं समस्याओं के रूप में तमाम बाधाओं का भी सामना करना पड़ता

है। यही कारण है कि महिलाओं कार्यकुशल होते हुये भी ग्रामीण समाज के विकास में अपना शत-प्रतिशत योगदान नहीं दे पाती है। अध्ययनकर्ता ने अपने अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया कि महिलाओं को इस नारी रूपी परतन्त्रता की जंजीरों से निकलने के लिये काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है शोधार्थी ने अपने अध्ययन में 654 महिला निर्देशदाताओं से अनुसूची के माध्यम से विकास मे बाधक समस्याओं को जानने का प्रयास किया तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये जो तालिका संख्या 7-1-1 के माध्यम से प्रस्तुत हैं।

### तालिका 7-1-1

क्या आप विकास कार्य कराने में दिक्कत महसूस करती हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	468	72.56
नहीं	186	27.44
योग	654	100




प्रस्तुत ग्राफ में अध्ययन से ज्ञात से होता है कि 654 निर्देशदाताओं में से 468 (72.56) सूचनादाताओं ने विकास कार्य कराने में दिक्कत या समस्या को स्वीकार किया वहीं 186 (27.44) सूचनादाताओं ने विकास के दौरान आने वाली समस्याओं पर असहमति व्यक्त की। अध्ययनकर्ता ने यह अनुभव किया कि ये सूचनादाता विकास के दौरा आने वाली

समस्याओं को नजरन्दाज कर रही थी या ये विकास के प्रति कम समर्पित दिखें। इस बात से सन्देह नहीं है कि महिलाओं के सामने विकास कार्य के दौरान तमाम बाधाये सामने आती है जो रीति रिवाजों के रूप में हो या नारी की स्वतन्त्रता के विरोध में हो। यहीं कारण हैं 72.56 प्रतिशत महिला सूचनादाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार्य किया कि ग्रामीण समाज का उत्थान की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है सामान्यतः यह देखने में आता है कि पुरुष प्रधान इस समाज में जब महिला आगे बढ़कर विकास में सहयोग देने का प्रयास करती हैं तो समाज परिवार एवं रीति रिवाज उनके इस प्रयास में सबसे बड़े बाधक के रूप में सामने आती हैं। इसके साथ ही इस संघर्ष का मुख्य पहलू ग्रामीण गुटबाजी के रूप में सामने आते हैं। शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में उक्त तथ्य की तीव्रता को जाँचने का प्रयास किया तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये।

तालिका 7-1-2

क्या आप विकास में ग्रामीण गुटबाजी समस्या खड़ी करती हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	528	80.73
नहीं	126	19.27
योग	654	100



प्रस्तुत ग्राफ के द्वारा स्पष्ट होता है कि अध्यानार्थ 654 निदर्शदाताओं में से 528 (80.73) प्रतिशत सूचनादाताओं ने ग्रामीण गुटबाजी की समस्याओं का स्वीकार किया इसके पीछे प्रभुत्व कारण ग्रामीण महिलाओं का आपस में सुव्यवहार न होना पाया गया। यदि कोई महिला कार्यकुशल है तो अन्य महिलाओं द्वारा गुटबन्दी के माध्यम से उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। वहीं दूसरे पक्ष पर गौर करे तो 126 (19.27 प्रतिशत) महिला सूचनादात गुटबन्दी को अस्वीकार करती हैं। शोधार्थी ने यह अनुभव किया कि ये महिलायें विकस का एक अंग बनकर कार्य न करते हुये बल्कि उस विकास से हो रहे लोभ का अंग बनना चाहती थी क्योंकि ये अधिकांशतः बहुत कम पढ़ी लिखी थी तथा विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का कौशल भी नहीं रखती थी।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन में महिलाओं के समक्ष उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी को भी विकास में सक्रियता से काम न कर पाने को पाया। पंचायती राज बैठकों में देखा गया है कि महिलायें भी भाग लेने लगी हैं चाहे भले ही वे सामाजिक रीति रिवाजों तथा परम्पराओं के कारण घूँट काड़ कर ही बैठना पड़े या पुरुषों के आगे प्रत्युत्तर या तर्क विवर्तक न कर सके परन्तु वह भाग लेकर विकास का हिस्सा तो बनती हैं। शोधार्थी ने उनकी पारिवारिक गतिविधियों का प्रभाव उनके ग्रामीण समाज के विकास के लक्ष्य को कितना प्रभावित करते है यह जानने का प्रयास किया तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये।

### तालिका 7-1-3

क्या पारिवारिक जिम्मेदारी विकास कार्य करने में समस्या खड़ी करती हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	417	63.76
नहीं	237	36.24
योग	654	100

प्रस्तुत तालिका मे अध्यनार्थ 654 निदर्शदाताओं में से 417 (63.76 प्रतिशत) महिला सूचनादाताओं ने पारिवारिक जिम्मेदारी को एक बाधा के रूप में स्वीकार किया तथा वहीं 237 (36.24 प्रतिशत) महिला सूचनादाताओं ने इसके विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया। स्पष्ट है कि ये महिलायें जो पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ सक्रिय रूप से विकास कार्यो में सलग्न थी शिक्षित एवं कार्य कुशल महिलायें होने के साथ-साथ इनको पारिवारिक अर्थात परिवार के अन्य सदस्यों

का भी सहयोग प्राप्त था। वहीं दूसरी ओर जिन परिवारों में रीति रिवाज एवं नारी की स्वतन्त्रता को एक अभिशाप के रूप में लिया जाता है उन परिवारों की सूचनादाताओं ने पारिवारिक जिम्मेदारी को प्रमुख बाधा के रूप में स्वीकार किया।

अतः स्पष्ट है कि तमाम बाधाओं और संघर्ष की स्थिति के बावजूद महिलायें अपने समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वहन वही निष्ठा से कर रहीं हैं।

### सन्दर्भ :

- ▶ अब्बासायुल वाय बी.ए सोशियोजोजिकल स्टडी ऑफ शिड्युल्ड कास्ट लेजिसलेटर्सा ऑफ आन्ध्र प्रदेश एम.लिट्.थीसीसए उस्मानिया यूनिवर्सिटीए 1974।
- ▶ अब्बासायुलए वाय.बी.ए शिड्युल्ड कास्ट इलिटः ए स्टडी ऑफ इलिट इन आंध्र प्रदेशए प्रगतिए हैदाराबादए 1978।
- ▶ अग्रवालए पी.सी. एवं अशरफ,एम.एस इक्वालिटी प्रिविलेजः ए स्टडी ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ शिड्युल कास्ट इन हरियाणा श्री राम सेंटर फॉर इण्डस्ट्रीज रिलेशंस एण्ड ह्यूमन रिसार्सेज नई दिल्ली1977।
- ▶ आप्टे प्रभा भारतीय समाज में नारी क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस जयपुर 1996।
- ▶ बीजू एम.आर. डायनामिक्स ऑफ न्यू पंचायत राज सिस्टम कनिष्क पब्लिशर्सए नई दिल्ली 1997।
- ▶ भदौरिया बी.पी.एस एवं दुबे बी.के. पंचायत राज एण्ड रूरल डैबलपमेंट कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स नई दिल्ली 1989।